



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2010/माघ 16, 1931

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010/MAGHA 16, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

का.आ. 261(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि वस्त्र उद्योग के लिए विकास परिषद् को अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए और ऐसा करना लोकहित में है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 532(अ), तारीख 23 फरवरी, 2009 द्वारा स्थापित वस्त्र उद्योग के लिए विकास परिषद् का इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से विघटन करती है।

[फा. सं. 1(1)/2005-आईपी]

गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2010

S.O. 261(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, on being satisfied that the Development Council for Textile Industries should cease to continue in being and it is in the public interest so to do, hereby dissolves, with effect from the date of publication of this order, the Development Council for Textile Industry, constituted *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number S.O. 532(E), dated the 23rd February, 2009.

[F.No. 1(1)/2005-IP]

GOPAL KRISHNA, Jt. Secy.